

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 1981/चैत्र 26, 1903
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 1981/CHAITRA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(साख विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

सा. क्र. नि. 291 (अ)/आख. वस्तु/गन्ना :—केन्द्रीय सरकार, गन्ना
(नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और
उसके उप-खण्ड (1) में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे
प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श
करना यह आवश्यक समझती है, गन्ना की आधारिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये
प्रति क्विंटल के आधार पर जो चीनी की 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली में
सम्बद्ध है और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1
प्रतिशत वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे
उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को, गन्ना की उस न्यूनतम
कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में
विनिर्दिष्ट निर्यात कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखाने के स्वामियों या उनके

अभिकर्तृओं द्वारा कारखाने के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिदत्त गन्ना के लिए चीनी वर्ष 1980-81 के लिए 30 सितम्बर, 1981 तक संदेय होगा, किन्तु यह कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3-क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	कारखाने का नाम	गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत रुपये में
1	2	3
1.	मैसर्स पूर्ण सहकारी शक्कर, कारखाना लि. बसमत नगर, जिला परभानी (महाराष्ट्र)	13.00

[सं. 3-1/80-एस. पी. वाई. (डी-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (चीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1981

G.S.R. 291(E)/Ess. Com/Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below of sugar with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price of sugarcane which shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, or its agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1980-81 until the 30th September, 1981, subject to the rebate payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Factory	Minimum Sugarcane Price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
L.	M/s. Purna Sahakari Sakkar Karkhana Ltd., Basmathnagar, District Parbhani (Maharashtra)	13.00

(No. 3-1/80-SPY(D.II))

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar)